

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 1486 विधि

सहरसा, दिनांक 22-5-2023

प्रतिलिपि :- (1) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुनः वाद सं०-01/2022 में दिनांक-19.05.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी अपील वाद सं०-214/2020 से संबंधित अभिलेख (कुल-104 पन्ना मूल में) वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता देवी, पति-सिजो चौधरी / खुशबू कुमारी पति-प्रकाश ताँती, दोनों सा०-मोहनपुर, वार्ड नं०-08, प्रखंड-सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि  
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आदेश पत्रक - ता०..... से..... तक  
जिला....., सं०....., सब् १९.....  
केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर नई करवाई के बारे में दिनांक, तारीख-वर्ष
19/05/2023	<p style="text-align: center;"><b>न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा</b></p> <p style="text-align: center;">आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-01/2022 सरिता देवी.....पुनरीक्षणकर्ता</p> <p style="text-align: center;">-बनाम-</p> <p style="text-align: center;">राज्य एवं अन्य.....रेसपॉण्डेन्ट</p> <p style="text-align: center;"><b>--: आदेश :-</b></p> <p>प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद सरिता देवी, पति-सिजो चौधरी, सा०-मोहनपुर, वार्ड नं०-08, प्रखंड-सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा के द्वारा न्यायालय, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आँगनबाड़ी अपील वाद सं०-214/2020 में दिनांक 02.03.2021 को पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है, जिसके द्वारा वादी के अपील आवेदन को खारिज कर दिया गया है।</p> <p>दिनांक 11.05.2023 को सुनवाई के उपरांत वाद को आदेश पर लिया गया। निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा उपरोक्त अपीलवाद में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद जिला पदाधिकारी, सहरसा के विज्ञापन सं०-02 दिनांक 13.10.2018 के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में सेविका चयन से संबंधित है, जो आँगनबाड़ी सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका-2016 से आच्छादित है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 की कंडिका-13 में स्पष्ट वर्णित है कि "जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता सुनवाई के लिए प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।" बाल विकास सेवाएँ (ICDS), निदेशालय, बिहार (समाज कल्याण विभाग) के पत्रांक-1780 दिनांक 05.03.2020 से सेविका/सहायिका चयन से संबंधित परिवादों के त्वरित निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए निदेश दिया गया है कि "जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।" उक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय के स्तर पर</p>	



पोषणीय नहीं पाते हुए खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

प्रमंडलीय आयुक्त  
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

प्रमंडलीय आयुक्त  
कोशी प्रमंडल, सहरसा